संख्या- 839 /2010-4(एच)/09

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
उ0प्र0,कानपुर।

समाज कल्याण विभाग, बजट प्रकोष्ठ — लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2010

विषयः- पावरलूम उद्योग का विकास (एस0सी0पी0) योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-485/ह0क0-पावरलूम/2010-11 दिनांक 14 सितम्बर 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में पावरलूम उद्योग का विकास योजनान्तर्गत रू015,00,000.00 (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि योजना के संचालन हेतु संलग्न विवरण के अनुसार मे0 विन्धा टेक्सटाइल पावरलूम उद्योग, मु0 गंजरानीपुर, झॉसी तथा मे0 सरस्वती टेक्सटाइल पावरलूम उद्योग, ग्राम देवरीसिंहपुरा, रानीपुर, झॉसी को उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में निर्गत/स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च 2010 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण परिपालन एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश शासन को निर्धारित प्रपत्रों में यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 मे आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पावरलूम का विकास-27-सब्सिडी" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-3/1765/दस-2010 दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

डा0 एस0एस0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 839 /2010-4(एच)/09 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायते, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

5- वित्त ई-3 अनुभाग/ वित्त(बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

6- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।

7- हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग।

8- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–039 /2010–4(एच)/09 दिनांक 20अक्टूबर 2010 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क सं0	समिति का नाम	योजना के घटक	लाभार्थी संख्या	निर्धारित दर प्रति लाभार्थी /इकाई	योजना की कुल लागत	राज्यांश	लाभार्थी अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मे0 विन्धा टेक्सटाइल पावरलूम उद्योग, मु0 गंजरानीपुर, झाँसी	1–प्रशिक्षण कार्यक्रम	05	0.25	0.25	0.25	–
		2–पावरलूम की स्थापना (सेमीआटोमेटिक लूम)	(04)	1.50	6.00	4.00	2.00
		3–पावरलूम कार्यशाला	(04)	0.45	1.80	1.80	भूमि
		4– मार्जिन मनी	समिति	0.60	0.60	0.45	0.15
		5–प्रचार–प्रसार	समिति	0.50	0.50	0.50	–
		योगः–	10	–	9.15	7.00	2.15
2	मे0 सरस्वती टेक्सटाइल पावरलूम उद्योग, ग्रा0 देवरी सिंहपुरा, रानीपुर, झाँसी	1–प्रशिक्षण कार्यक्रम	05	0.25	0.25	0.25	–
		2–पावरलूम की स्थापना (सेमीआटोमेटिक लूम)	(04)	1.50	6.00	4.00	2.00
		3–पावरलूम कार्यशाला	(04)	0.45	1.80	1.80	भूमि
		4– मार्जिन मनी	समिति	0.60	0.60	0.45	0.15
		5–डिलीवरी वैन	समिति	1.00	1.50	1.00	0.50
		6–प्रचार–प्रसार	समिति	0.50	0.50	0.50	–
		योग–	10	–	10.65	8.00	2.65
		कुल योगः–			19.80	15.00	4.80

रू0 15,00,000.00 (रूपया पन्द्रह, लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव।